उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्याःसी–80/तक0प्रको0/2017–18 दिनॉक– 11-01-2018

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-डेयरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत ऋण वितरण/अनुदान के सम्बन्ध में।

आप अवगत होना चाहें कि उपरोक्त सन्दर्भित योजना वर्ष 2010-11 से बैंक में संचालित की जा रही है इस योजनान्तर्गत अद्यतन मात्र 30 शाखाओं द्वारा ही ऋण वितरण किया गया है। इन शाखाओं द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर नाबार्ड द्वारा समय-समय पर आपत्ति लगाते हुए योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुदान को भी अस्वीकार कर दिया जा रहा है जबकि विभिन्न पत्रों एवं परिपत्रों के माध्यम से आपके संज्ञान में आवेदन-पत्रों की कमियों के विषय में अगवत कराते हुए निर्देशानुसार आवेदन पत्र प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है किन्तु शाखाओं द्वारा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः एक बार पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न सूचनायें नियमानुसार सही-सही अंकित करते हुए प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करें।

प्रस्तावों में प्राप्त होने वाली त्रुटियॉं-

1- यह कि आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि अवश्य अंकित की जायें।

2- यह कि प्रथम किश्त की निर्गत होने की तिथि स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित की जाये।

3- प्रथम किश्त निर्गत की तिथि के दो माह के अर्न्तगत प्रस्ताव नाबार्ड को प्रधान कार्यालय के माध्यम से प्राप्त कराने के निर्देश हैं, अतः आवश्यक है कि मुख्यालय स्तर पर लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए शाखायें **प्रत्येक दशा में प्रथम किश्त के निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव मुख्यालय को अवश्य प्रेषित करें** अन्यथा विलम्ब की स्थिति के लिए, लाभार्थी को अनुदान प्राप्त न होने की दशा, में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4- यह कि अनुदान की गणना कुल वित्तीय व्यय के आधार पर की जायेगी न कि मार्जिन मनी/ डाउन-पेमेण्ट घटाने के उपरान्त प्राप्त होने वाली धनराशि पर। उदाहरण-

जैसे कुल वित्तीय परिव्यय मु0 1.00 लाख रूपये
डाउन पेमेण्ट 10 प्रतिशत की दर से 10,000/-
बैंक ऋण मु0 90,000/-

अनुदान की गणना 25 प्रतिशत की दर से- मु01.00 लाख X25/100= 25,000/-

5- यह कि यदि ऋण ग्राही द्वारा प्रथम किश्त के भुगतान प्राप्ति के उपरान्त अन्य किश्तों का आहरण नहीं किया जाता है या ऋण अवधि के पूर्व ही खाता बन्द कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्राप्त अनुमन्य अनुदान नाबार्ड को वापस करने के निर्देश हैं जिसका अनुपालन समयार्न्तगत अवश्य किया जाय।

6- नाबार्ड द्वारा प्राप्त कराये गये अनुदान का समायोजन पश्चायी (बैक एण्डेड) तीन वर्षो की लॉकिंग पीरयड के बाद होगा। अतः अनुदान की धनराशि को लाभार्थी के खातों में सब्सिडी रिजर्व धनराशि खाता में रखा जायेगा। नाबार्ड से सब्सिडी प्राप्त करने के 07 दिनों के अन्दर लाभार्थी के सब्सिडी रिजर्व खातों में सब्सिडी की धनराशि समायोजित करनी होगी।

7-योजना के प्रारम्भ से अद्यतन तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में अपेक्षा की गयी है कि भारत सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रोजेक्टों में उपयोगिता अन्तिम धनराशि के विवरण से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रत्येक दशा में तकनीकी अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **अन्तिम विवरण सदुपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होने पर यदि कृषक की अनुदानित राशि नाबार्ड को वापस होती है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।**

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुदान प्रस्ताव उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बैंक की ई-मेल आई0डी0/एक प्रति हार्ड-कापी तकनीकी अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें,अन्यथा की स्थिति में लाभार्थियों को अनुदान प्राप्त नहीं होता है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि-निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-</u>

(1)समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि आपने मण्डल की समस्त शाखाओं से उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(2)समस्त जनपदीय प्रबन्धक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(3)उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई-मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (तकनीकी)